भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 717
जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।
3 श्रावण, 1947 (शक)

नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में एआई का विनियमन

717. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डीपफेक के संदर्भ में नागरिकों के अधिकारों, विशेषकर निजता के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) सरकार किस प्रकार प्रौद्योगिकी नवाचार की आवश्यकता को विनियमन और निगरानी की आवश्यकता के साथ संतुलित करने का प्रस्ताव रखती है;
(ग) क्या सरकार डीपफेक प्रौद्योगिकियों के अनियंत्रित प्रचार और गलत सूचना के प्रसार को रोकने हेतु भारत में एआई क्षेत्र को विनियमित करने की कोई योजना बना रही है; और
(घ) सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना और भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य एआई संवर्धन के बीच देश में उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करना है।
निम्नलिखित अधिनियम उपयोगकर्ताओं द्वारा या अन्यथा सृजित जानकारी को विनियमित करते हैं, जिसमें एआई उपकरण या किसी अन्य तकनीक के उपयोग द्वारा सृजित जानकारी भी शामिल है और व्यक्तिगत गोपनीयता भी सुनिश्चित करते हैं।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")</u>

- अधिनियम के तहत तैयार किए गए आईटी नियम, 2021 मध्यस्थों को सम्यक तत्परता हेतु बाध्य करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता उनके प्लेटफार्मों पर गैरकानूनी सामग्री को होस्ट, अपलोड या साझा न करें।
- इस सम्यक तत्परता का पालन न करने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत 'सुरक्षित स्थान' की हानि हो सकती है, जिससे मध्यस्थ अन्य पक्ष की विषयवस्तु के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
- मध्यस्थों को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों, कृत कार्रवाई तथा हटाई गई या निष्क्रिय की गई सामग्री का उल्लेख किया गया हो, तथा स्वचालित निगरानी उपकरणों के माध्यम से पहचान की गई सामग्री भी शामिल हो।

<u>डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम")</u>

- अधिनियम, डेटा फ़िड्युशरीज़ को अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय और तकनीकी एवं संगठनात्मक उपाय अपनाने के लिए अधिदेशित करता है।

- व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करने के लिए व्यापक ढांचा जैसे पहुंच का अधिकार, सुधार और विलोपन, शिकायत निवारण, आदि।

- एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के रूप में डेटा संरक्षण बोर्ड के साथ जवाबदेही तंत्र का एक सुदृढ़ ढांचा।
- बोर्ड को शिकायतों की जांच करने, पूछताछ करने और अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।

<u>भारतीय न्याय संहिता, 2023</u>

धारा 353 झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट करने के कार्य को दंडित करता है जिससे सार्वजनिक अपकार या भय पैदा हो सकता है।

भारत की एआई रणनीति का उद्देश्य भारत के नागरिकों के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए उनके लिए आर्थिक और रोजगार के अवसर सृजित करना है। इंडियाएआई मिशन अपनी सात स्तंभों वाली रणनीति के माध्यम से इसे आगे बढ़ाता है।

<u>"सुरक्षित और विश्वसनीय एआई" स्तंभ</u>

- यह इंडियाएआई मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो भारत में नैतिक और जिम्मेदार एआई विकास और परिनियोजन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य सुरक्षित और विश्वसनीय एआई प्रणालियों के लिए ढाँचे, उपकरण और दिशानिर्देश तैयार करना है।
- [शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है]

<u>गलत सूचना और भ्रामक सूचना को रोकने के लिए उठाए गए कदम</u>

- गलत सूचना और भ्रामक सूचना_के परिणामस्वरूप साइबर स्पेस में उभरते नुकसान को दूर करने के लिए एमईआईटीवाई और उद्योग हितधारकों/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के मध्य कई परामर्श किए गए।
- एमईआईटीवाई द्वारा जारी किए गए परामर्शी निदेश, मध्यस्थों को आईटी नियमों, 2021 के तहत उल्लिखित सम्यक सावधानी बरतने संबंधी दायित्वों और दुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिक मीडिया' और 'डीपफेक' सहित गैरकानूनी सामग्री का मुकाबला करने के बारे में याद दिलाती है।
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) द्वारा एआई का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण हमले, और कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए किए गए प्रतिउपायों सहित साइबर खतरों/सुभेद्धताओं के बारे में नियमित चेतावनियाँ और परामर्शी निदेश जारी किए जाते हैं।

अनुबंध।

सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ के तहत जारी पहली रुचि की अभिव्यक्ति (ईओएल) के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं का विवरण

विषय का नाम	**चयनित आवेदक**	**परियोजना का शीर्षक**	**परियोजना के विषय में**
मशीन अनलर्निंग	आईआईटी जोधपुर	जनरेटिव फाउंडेशन मॉडल में मशीन अनलर्निंग	समग्र मॉडल प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए ओपन-सोर्स जनरेटिव फाउंडेशन मॉडल में लक्षित अनलर्निंग के लिए नवीन विधि विकसित करना।
सिंथेटिक डाटा जनरेशन	आईआईटी रुड़की	डेटासेट में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए सिंथेटिक डेटा उत्पन्न करने के लिए विधि का डिजाइन और विकास; और उत्तरदायी एआई के लिए मशीन लर्निंग पाइपलाइन में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए फ्रेमवर्क	एमएल मॉडल विकास के मॉडल प्रशिक्षण और इन-प्रोसेसिंग चरण में पूर्वाग्रह से निपटने के लिए एल्गोरिथ्म और विधि विकसित करना
एआई पूर्वाग्रह शमन रणनीति	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर	स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में पूर्वाग्रह शमन के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास	चिकित्सा प्रणाली अनुप्रयोगों, छवि विश्लेषण और नैदानिक निर्णयों में पूर्वाग्रहों को कम करने वाले उत्तरदायी एआई एल्गोरिदम विकसित करना।
व्याख्यात्मक एआई ढाँचा	डीआईएटी पुणे और माइंडग्राफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	सुरक्षा के लिए व्याख्यात्मक और गोपनीयता संरक्षण एआई को सक्षम करना।	ऐसे एआई मॉडल बनाना जो भीड़-भाड़ वाले वातावरण में प्रभावी सुरक्षा के लिए मानव गतिविधि विश्लेषण के लिए सटीक और व्याख्यात्मक परिणाम प्रदान करते हैं।
गोपनीयता संवर्धन रणनीति	आईआईटी दिल्ली, आईआईआईटी दिल्ली, आईआईटी धारवाड़ और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी)	सुदृढ़ गोपनीयता-संरक्षण मशीन लर्निंग मॉडल	सुदृढ़ वितरित/फ़ेडरेटेड लर्निंग एल्गोरिदम विकसित करना जो हमलों के लिए अतिसंवेदनशील प्रतिकूल वातावरण में अच्छा प्रदर्शन करते हैं
एआई नैतिक प्रमाणन ढाँचा	आईआईआईटी दिल्ली और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी)	एआई मॉडल की निष्पक्षता का आकलन करने के लिए उपकरण	भारतीय संदर्भ में एआई सिस्टम के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाग्रह जोखिम मूल्यांकन, मैट्रिक्स के लिए प्रसंस्करण और पूर्वाग्रह परीक्षण को शामिल करते हुए त्रि-चरणीय प्रमाणन प्रक्रिया विकसित करना
एआई एल्गोरिथम ऑडिटिंग टूल	सिविक डेटा लैब्स	परखएआई – सहभागी एल्गोरिथम ऑडिटिंग के लिए एक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क और टूलकिट	प्रस्तावित ढांचा और टूलकिट नागरिकों को एल्गोरिथम निर्णय लेने वाली प्रणालियों के जिम्मेदार डिजाइन, विकास और परिनियोजन में शामिल करने में सक्षम करेगा।
एआई गवर्नेंस टेस्टिंग फ्रेमवर्क	अमृता विश्व विद्यापीठम और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी)	ट्रैक-एलएलएम, पारदर्शिता, जोखिम मूल्यांकन, संदर्भ और लार्ज़ भाषा मॉडल के लिए ज्ञान	एलएलएम के डाउनस्ट्रीम उपयोग-मामले और नियोजन से संबंधित मौजूदा शासन परीक्षण ढांचे में विशिष्ट गैप की पहचान करना और उनका समाधान करना।
